न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 64 / 2015

सुब्बा पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादी

बनाम

असल प्रतिवादी

1. नबाब
2. सहाबू पिसरान रूस्तम नवीरा मुंशी जाति मेव निवासी चिनावडा तहसील पहाडी (भरतपुर)
3. कुर्शीद पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी चिनावडा तहसील पहाडी (भरतपुर)
4. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 53 व 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी
श्री नसरू खाँ वकील प्रतिवादी संख्या 3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड पहाडी (जे0 जिला कलेक्टर)

दिनांक :– 06 / 05 / 2022

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89,53 व 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी नम्बर 117 / 0.12, 280 / 3 / 0. 17, 296 / 1 / 0.03, 327 / 1 / 0.09, 147 / 0.39, 428 / 3 / 0.15, 273 / 0.19, 287 / 0.19, 281 / 1 / 0.15, 288 / 0.17, 292 / 1 / 0.16, 322 / 2 / 0.16, 180 / 0.16, 296 / 2 / 0.03, 327 / 3 / 0.10, 305 / 0.33, 428 / 1 / 0.16, 375 / 0.27, 303 / 0.40, 304 / 0.32, 322 / 0. 17, 180 / 1 / 0.22, 296 / 3 / 0.03, 506 / 282 / 0.03, 327 / 2 / 0.09, 428 / 2 / 0.16, 272 / 0.22, 281 / 0.28, 273 / 1 / 0.17, 292 / 0.07,294 / 0.23, 294 / 0.23, 322 / 1 / 0. 16, 421 / 0.28, किता–33 रकबा 4.83 हैक्टर बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी में स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है हम खातेदार मुंशी मृत्तक के वारिसान है आराजी मुत0 पीछे से हमारे पिता मुंशी का रकबा है एव हम तीनो हिस्सेदार वाहिस्सा बराबर 1 / 3 हिस्सा के हिसाब से काश्त करते चले आ रहे है हमने आराजी मुत0 के बंटवारे के बारे में न्यायालय श्रीमान में दिनांक 17 / 08 / 2005 को खुर्शीद बनाम सुब्बा वगै0 के उनवान से एक दावा पेश किया जिसमें श्रीमान तहसीलदार साहब पहाडी द्वारा दिनांक 25 / 03 / 2006 के आदेश की पालना में मौके पर कुर्रेजात बनाये जिसमे खसरा

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 147 की बाबत कुर्रे में दर्ज है कि खसरा नम्बर 147/0.39 नबाब व सहाबू 1/3 हिस्से का हमीदी पत्नि जुम्मा के नाम बयनामा हो चुका है लेकिन कब्जा आज भी सुब्बा का है और श्रीमान तहसीलदार साहब ने उक्त कुर्रेजात में खसरा नम्बर 147/0.39 पूरा रकबा वादी सुब्बा के हिस्से में ही दर्ज कर दिया जिस पर प्रतिवादीगण के भी सहमति के हस्ताक्षर है एवं न्यायालय श्रीमानजी के दावा दिनांक 28/06/2006 को इस प्रकार डिक्री करते हुये खसरा नम्बर 147 को सुब्बा के हिस्से में मानते हुये मुताबिक कुर्रेजात सुब्बा वादी के खाते में ही रख दिया अब न्यायालय श्रीमान ने मुकदमा उनवानी हमीदी बनाम सुब्बा वाद संख्या 76/2010 व खिलाफ वादी व हक वादनी हमीदी दिनांक 18/09/2013 को डिक्री कर दिया है और नबाब व साहबू द्वारा वादी के हिस्से में से खसरा नम्बर 147 का 1/3 हिस्सा बेचे जाने पर दावा डिक्री होने पर वादी का रकबा कम हो गया है । अतः दुबारा अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी के कुर्रेजात बनाये जाकर आराजी मुत0 का पुनः बंटवारा कराया जावे । बयनामा के 1 वर्ष बाद तक भी तहसील में वादी का ही कब्जा खसरा नम्बर 147/0.39 एयर पर बताया है एवं कब्जा आज भी वादी का ही है अतः यहाँ वक्त बयनामा खरीददार को कब्जा नहीं दिया जाता है तो वह बयनामा स्वतः ही बेअसर है । अतः आराजी खसरा नम्बर 147 सालिम रकबा वादी का ही माना जाये आराजी खसरा नम्बर 281/0.43 की बाबत वादी प्रतिवादी संख्या 3 कुर्सीद को 205000/–रूपये दे चुका है । फिर भी प्रतिवादी नं0 3 खसरा नम्बर 281 में अपना हिस्सा नाजायज तरीके से बेचना चाहता है। हम तीनों हिस्सेदारो ने आबादी के कीमती नम्बरान 1–1 तीनों बांट रखे है। ताकि उनमें बसाबट कर सके जिसमें प्रार्थी के पास 147/0.39 नम्बर था जिसमें से 1/3 हिस्सा नबाब व सहाबू ने बेच दिया जो अन्य आराजी के 3 गुणा कीमती है। अगर यह 1/3 हिस्सा हमीदी का माना जाता है तो वादी को नबाब व सहाबू के हिस्से में से 0.24 एयर रकबा 147/0.39 के 1/3 हिस्से के बदले में दिया जावे ताकि वादी के रकबे की पूर्ति हो सके वादी ने कल दिनांक 30/07/2015 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से रकबे की पूर्ति हेतु कुर्शीद के खसरा नम्बर 281 की बाबत न बेचने को कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कहा है कि हम जबरन बेचकर रहेगे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कहा कि हम पूरी आराजी का बेचान तय कर चुके है और हम पूरी आराजी का बेचान जबरन करके रहेंगे। अगर प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से ना हो सकेगी । यह घोषित फरमाया जावे कि खसरा नम्बर 147 का 1/3 हिस्सा वय हुआ है उस पर आज भी वादी का ही कब्जा है एवं कीमती रकबा है लिहाजा वादी अपने नाम खातेदारी काश्तकारी करा पाने का मुस्तहक है एवं अगर वह रकबा बिका हुआ माना जावे तो वादी की क्षति पूर्ति हेतु नबाब व साहबू के हिस्से में से 0.24 एयर रकबा वादी के नाम किसी भी नम्बर से नबाब व साहबू का नाम कलमजन कराकर वादी अपने नाम करा पाने का मुस्तहक है। खसरा नम्बर 147 जो पूर्व बंटवारे में वादी का है वादी को दिया जावे या नबाब व सहाबू के खाते के किसी नम्बर से 0.24 रकबे से नबाब व सहाबू को कलमजन किया जाकर वादी को अलग से खातेदार घोषित किया जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,4 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये । उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया। जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 281/0.43 हैक्टर का है जो पूर्व में वादी व प्रतिवादी के पिता मृत्तक मुंशी पुत्र निजरू के कब्जे व

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी की थी जिसे वह अपने जीवन काल में काबिज रहकर काश्त करते रहे उनकी मृत्यु के पश्चात वादी प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रूस्तम वाहिस्सा बराबर काश्त करते रहे जिसमें से वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 के 1/3–1/3 हिस्से के हिस्सेदार है वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने पिता से मिली विरासत में समस्त आराजी का बंटवारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामाँ में वाद खुर्शीद बनाम सुब्बा वगै0 के उनवान से बंटवारे का दावा दायर कर आपसी सहमति से वाद संख्या 153/05 दिनांक 28/06/2006 को कर लिया हैं और मुताबिक दावा आराजी खसरा नम्बर 281/0.43 हैक्टर में से वादी को 0.15 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 0.28 हैक्टर रकबा मिला और इसी प्रकार से अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हिस्से में से दिनांक 30/07/2015 को 4/7 हिस्से का बयनामा बेचान कर रहमत पुत्र इमाम खां निवासी चिनावडा को कर दिया तथा शेष 0.12 हैक्टर पर प्रतिवादी काबिज रहकर काश्त कर रहा हैं। जिसके कुछ हिस्से में प्रतिवादी के रिहायशी मकान बना रखा है और शेष रकबे में मौके पर बाजरे की फसल बो रखी है वादी का प्रतिवादी के हिस्से की आराजी से कोई संबन्ध नहीं है। वादी ने यह दावा गलत एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी की आराजी को हडपने की गरज से किया है। जो काबिले खारिजी है। प्रतिवादी ने वादी को अपनी आराजी के किसी भी हिस्से का बेचान कभी नहीं किया है और ना ही प्रतिवादी ने राजी से बेचान की बाबत 205000/–रूपये कभी भी वादी से लिये और ना ही कोई बेचान का सौंदा किया । उसने दावे में सभी तथ्य गलत अंकित किये है जो निराधार व बेबुनियाद है। प्रतिवादी मुताबिक बंटवारार अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। वादी ने यह दावा प्रतिवादी की जमीन को बेईमानी से हडपने की नियत से किया है। जो काबिले खारिजी है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया वादी आराजी खसरा नम्बर 147 का 1/3 हिस्सा बय हुआ है जिस पर वादी का कब्जा है। जिसे वादी ही अपने नाम खातेदारी काश्तकारी करा पाने का मुस्तहक है। यदि यह रकबा बिका हुआ माना जाये तो इसकी पूर्ति हेतु नबाब व सहाबू के हिस्से में से 0.24 एयर रकबा वादी के नाम किसी भी नम्बर से नबाब व सहाबू का नाम कलमजन करा पाने का अधिकारी है।

.....वादी

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

.....वादी

<u>तनकी संख्या 3 :–</u> आया प्रतिवादी आराजी मुत0 में से मुताबिक बंटवारा अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है।

.....प्रतिवादीगण

<u>तनकी संख्या 4 :–</u> आया आराजी मुत0 में से किसी भी हिस्से का बेचान नहीं किया गया है।

.....प्रतिवादीगण

5 :– दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 सुब्बा, के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पर दिनांक 02/03/2021 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादीगण में डी0डब्लू0 खुर्शीद , के शपथ पत्र पेश किये अन्य कोई साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल निर्णय दिनांक 28/06/2006 न्यायालय एस0डी0ओ0 कामाँ, नकल निर्णय दिनांक 18/09/2013 न्यायालय एस0डी0ओ0 पहाडी, नकल जमाबन्दी सम्वत 2060–63 पेश किये ।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया है कि वादी द्वारा जो तथ्य दावे में उठाया गया है। उसका निस्तारण इस न्यायालय द्वारा वाद संख्या 76/2010 उनवान हमीदी बनाम सुब्बा में किया जा चुका है। जिसमें केता हमीदी के पक्ष में निर्णय हो चुका है। केता हमीदी को खसरा संख्या 147/0.37 के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जा चुका है। अगर फिर भी कोई आपत्ति थी। तो वादी को दिनांक 18/09/2013 की डिकी के विरूद्ध अपील की जानी चाहिए थी। वादी का दावा सी0पी0सी0 की धारा 11 से बाधित है। अतः खारिज योग्य है।

वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया वादी आराजी खसरा नम्बर 147 का 1/3 हिस्सा बय हुआ है जिस पर वादी का कब्जा है। जिसे वादी ही अपने नाम खातेदारी काश्तकारी करा पाने का मुस्तहक है। यदि यह रकबा बिका हुआ माना जाये तो इसकी पूर्ति हेतु नबाब व सहाबू के हिस्से में से 0.24 एयर रकबा वादी के नाम किसी भी नम्बर से नबाब व सहाबू का नाम कलमजन करा पाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। केता हमीदी को खसरा संख्या 147/0.37 के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जा चुका है। वादी द्वारा इस संबंध में कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं की है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य का निर्णय इस न्यायालय द्वारा वाद संख्या 76/2010 उनवान हमीदी बनाम सुब्बा में किया जा चुका है। जिसमें केता हमीदी के पक्ष में निर्णय हो चुका है। अतः अपील के माध्यम से ही वादी को अनुतोष प्राप्त हो सकता है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है। वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3 :–</u> आया प्रतिवादी आराजी मुत0 में से मुताबिक बंटवारा अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी आराजी मुत0 में से मुताबिक बंटवारा अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। मुताबिक डिकी आदेश 28.06.2006 यह प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी इसे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः यह तनकी वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 4 :– आया आराजी मुत0 में से किसी भी हिस्से का बेचान नहीं किया गया है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे प्रमाणित होता हो कि आराजी मुत0 में से किसी भी हिस्से का बेचान किया गया है। अतः यह तनकी वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

5 **दादरसी :–** तनकी संख्या 1,2,3,4 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण काबिले खारिज है। वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असफल रहा है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड पहाड़ी (उप जिला कलेक्टर)